प्रेस विज्ञप्ति

1.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 27.49 करोड़ रुपए की 58 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं। ये सभी भूखंड सुधीर कुमार गोयल, उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल, उनके करीबी सहयोगी जय प्रकाश और आलोक कुमार उर्फ जग्गा और उनकी पार्टनरशिप फर्म मैसर्स श्री सिद्धिविनायक प्रॉपर्टीज के नाम पर पंजीकृत हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने सुधीर कुमार गोयल और उनके गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध धोखा, जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत यूपी पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यूपी पुलिस ने इन सभी लोगों को यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है और ये सभी लोग फिलहाल बुलंदशहर जेल में रखे गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला है कि उन्होंने 10 से अधिक अवैध कॉलोनियां बनाई, जहां प्लॉट भूमि उपयोग परिवर्तन कराए बिना तथा बिना किसी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के अत्यधिक कीमतों पर विक्रय किए गए। सुधीर कुमार गोयल ने कुछ व्यवसायियों और उसके गिरोह के सदस्यों के साथ मिल कर लोगों को धोखा देने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जैसे कि भूमि के एक ही प्लॉट को कई लोगों को विक्रय करना, निवेशकों को गैर-मौजूद प्लॉट का विक्रय करना, जाली और मनगढ़ंत कागजात के आधार पर प्लॉट का विक्रय करना, आवासीय भूमि बताकर कृषि भूमि का विक्रय करना।

प्रवर्तन निदेशालय ने 9 जनवरी 2024 को सुधीर गोयल और उनके करीबी सहयोगियों से संबंधित 12 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था, जहां से बड़े पैमाने पर संगठित बईमानी और धोखाधड़ी के बारे में दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं। तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए और राजस्व अधिकारियों से एकत्र किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने जानबूझकर अधिकांश लेनदेन का मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम दिखाया, और अपराध की भारी आय नकदी के रूप में अर्जित की, जिसे आगे एक अन्य अवैध कॉलोनी में निवेश किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।